यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** के माह **मार्च 2018 से सितम्बर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री राजेश डोभाल ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **15/10/2020 से 22/10/2020** तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री मनोज कुमार नेगी एवं श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09/03/2018 से 16/03/2018 तक में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** के द्वारा विद्युतीकरण एवं यांत्रिक कार्य निष्पादित किये जाते है ।भौगोलिक अधिकार क्षेत्र टिहरी, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी है।

(ii) बजट

लेखा परीक्षा अवधि में योजनावारबजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/व्यय	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	-	-	302.92	291.31	8.00	7.99		
2018-19	-	-	369.62	369.74	4.36	4.36		
2019-20	-	-	331.84	330.09	3.45	3.45		
2020-21			158.81	157.76	3..80	3.79		

(iii) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

अधिशासी अभियनता

सहायक अभियन्ता

अपर सहायक अभियन्ता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह जुलाई-2019 एवं जुलाई- 2020 का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में ..... निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखा बन्दी क्रमशः माह सितम्बर-2020 तक की गई।

5. फार्म 51: माह मार्च 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय केअवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम- रु. 6417238.36

भाग द्वितीय- रु. 628400.19

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम- -------

(ख) सामग्री क्रय- शून्य

(ग) नगद परिशोधन- शून्य

(घ) निक्षेप- रु.70088507.00

(ङ) भण्डार- शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर 1:- प्रतिभूति धनराशि(Security Deposit) की प्रत्याहरण (Refund) के संबंध मे।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराशि कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराशि भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की मासिक लेखा मार्च 2018 के Form-79 की जांच मे पाया गया कि ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनराशि `23,36,953.00 थी जो लेखा परीक्षा तिथि तक अवशेष थी।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जायेगी। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि उक्त धनराशि ठेकेदारों के प्रतिभूति (Security Deposit) की हैं जिसे वापिस की जानी हैं।

अत: विगत कई वर्षों से प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit) की प्रत्याहरण (Refund) नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2:- हायर चार्जेज की धनराशि ₹ 54.48 लाख की वसूली न किया जाना ।

विभागीय मशीनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु विद्युत/यांत्रिक खंडों को अलग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। सिविल खंडों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेशनल/ हायर चार्जेज से ही विद्युत/यांत्रिक खंडों द्वारा मशीनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के कार्य संपादित किए जाते है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यॉत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध कराये गए हायर चार्जेज संबंधित लेखा अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि मार्च 2018 से सितम्बर 2020 तक के दौरान हायर चार्जेज की राशि ₹ 54.48 लाख विभिन्न सिविल खंडो के पास में लंबित पड़ी थी जिसे उनसे वसूल नही किया गया था। इसके साथ ही हायर चार्जेज पंजिका का रख–रखाव अद्यतन नहीं किया गया था जिसके कारण कुल भारित/लंबित हायर चार्जेज बिलों की वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों अवगत कराया गया कि हायर चार्जेज वसूली कर ली जाएगी।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत दो से अधिक वर्षों से ₹ 54.48 लाख की धनराशि लंबित पड़ी हुई थी जिसकी वसूली नहीं की गयी थी साथ ही अभिलेखों से यह भी स्पष्ट नही हो पाया कि खंड द्वारा वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया अथवा नहीं ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 3:- अनुबंध की शर्तो के विपरीत एवं ₹1.63 करोड़ व्ययोंपरान्त भी कार्य का बीमा न करवाया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति ।

S.I.T.C. of Beautification and Electrification Work, IP CCTV, PA & EPABX, DG Set, High Mast, Advance Light Protection System, Traffic Signal Lights for Heavy Vehicle Suspension Bridge at Dobra Chanthi in Distt Tehri Garhwal निर्माण कार्य की प्रशासनिक एव ंवित्तीय स्वीकृति रू0 14994.55 करोड़ की प्रदान की गई थी (10/2015) जिसमें रू0 586.73 लाख विद्युतीकरण हेतु प्रावधान किया गया था । विद्युतीकरण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी (12/2019) । कार्य हेतु विभिन्न अनुबंध गठित किये गये थें जिसमे अनुबंध संख्या 30/एस.ई/2019–20, दिनांक 28.01.2020 धनराशि रू0 267.59 लाख मात्र का M/s Sangeeta Electrical, Shakarpur, Delhi के साथ गठित किया गया था अनुबंध के अनुसार कार्य की प्रारंभ एवं समाप्त होने की तिथि क्रमश 28/1/20 तथा 27/4/20 थी, कार्य पर ₹ 163.88 लाख व्यय किया जा चुका था तथा कार्य प्रगति पर था।

अनुबंध की शर्त संख्या 13 (1) के अनुसार –**"The Contractor Shall provide in joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defect Libility Period.....comply any conditions of the insurance policy."**

अधिशासी अभियंता, विद्युत् एवं यांत्रिक खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खंड द्वारा ठेकेदार से कार्य का बीमा नहीं करवाय गया था जो कि अनुबंध की उक्त शर्त का उल्लंघन तो था ही साथ ही ठेकेदार को प्रीमियम का भुगतान कम करना पड़े उसे अनुचित लाभ दिया गया। आगे जांच में यह भी पाया गया कि अनुबंध के सापेक्ष कार्य दिनांक 27.04.2020 को पूर्ण होना था लेकिन लेखा परीक्षा तिथि तक 06 माह अधिक व्यतीत होने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण कार्य का उद्देश्य अप्राप्त था।

बीमा ना कराये जाने संबंधी प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया कि चूंकि कार्य पूर्ण हो गया है 36 प्रतिशत भुगतान शेष है तथा ठेकेदार की प्रयाप्त सिक्यूरिटी विभाग के पास जमा है । कार्य की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में बताया कि Covid-19 की समस्या चलते तथा सिविल कार्यो की प्रगति के अनुरूप ही विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति बाधित रही इन्ही कारणों के चलते ठेकेदार को समय वृद्धि की संस्तुति कर दिनांक 15.9.2020 तक स्वीकृत है ।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्त का पालन खंड एवं ठेकेदार दोनों पर बाध्यकारी थी साथ ही अगर शर्तो का पालन नहीं करना था तो अनुबंध में बीमा की शर्ते रखने

का कोई औचित्य नही था । आगे कार्य स्थल पहाड़ी क्षेत्र में है ओर उत्तराखंड में आयी आपदा को ध्यान में रखते हुए कार्य का बीमा कराया जाना अनिवार्य है। लेखा परीक्षा तिथि तक केवल 64 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था जबकि स्वीकृत समय् वृद्धि की सीमा भी समाप्त हो गयी थी

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 4:- अभिलेख उपलब्ध नही किया जाना।

CAG DPC Act 1971 के धारा 18(1)(ख) के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियों, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज़, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे मे हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार हैं, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाये जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे।

खंड की माप पुस्तिकाओं की भौतिक सत्यापन/जांच हेतु निम्न माप पुस्तिकाओं की मांग की गयी थी:-

46/L, 47/L, 50/L, 48/L, 64/L, 53/L, 54/L, 49/L, 52/L, 65/L, 40/L, 57/L, 41/L, 317/L, 312/L, 56/L, 151/L, 51/L, 49/L, 54/L,

उक्त मांगी गयी माप पुस्तिकाओं मे से खंड द्वारा केवल 64/L, 53/L एवं 52/L माप पुस्तिका ही उपलब्ध करायी गयी।

अत: उक्त माप पुस्तिकाओं को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1:- रु.9.22 करोड़ की धनराशि का अवरुद्ध रहना।

As per the clause 519 (b) of Financial Handbook Voume-6 "steps should be taken promptly to surrender the unexpected balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer".

अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, ऋषिकेश के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि खण्ड को 195 विभिन्न ग्राहक विभाग द्वारा (माह जुलाई 2018 के Form 65 के अनुसार) लेखाशीर्ष 8443 के अंतर्गत विभिन्न विभागीय कार्यों हेतु कुल धनराशि रु. 9.22 करोड़ माह जुलाई 1994 से माह जुलाई 2018 के मध्य अवमुक्त की गयी थीI इस प्रकार यह राशि खण्ड के पास विगत 24 वर्ष से चालू माह तक यथावत रूप से पड़ी हुई थी जबकि कार्य समाप्ति या इसके अप्रयुक्त रहने पर इसे ग्राहक विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिये था। उल्लेखनीय है कि खण्ड द्वारा माह अगस्त 2018 से मासिक लेखे के साथ Form 65 भी तैयार नहीं किया जा रहा है, न ही महालेखाकर कार्यालय को भेजा जा रहा है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कुछ कार्य देहरादून में नया खण्ड सृजित होने के कारण उनके द्वारा संपादित कराया जाना है एवं कुछ चालू कार्यो के देयक आने पर अवशेष धनराशि को शीघ्र संबन्धित विभाग को वापस कर दिया जाएगा। मासिक लेखे के साथ Form 65 नहीं तैयार किये जाने के सम्बन्ध में बताया की भविष्य हेतु नोट कियाI

खण्ड के उत्तर में स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा उपरोक्त धनराशि के समायोजन की कार्यवाही विगत वर्षो में नहीं की गयी थी जिसके कारण रु.9.22 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	111/1996-97	-	2
2.	59/1997-98	-	1
3.	48/1998-99	-	1
4.	15/1999-00	1	-
5.	57/2001-02	1	2
6.	54/2002-03	-	1,2
7.	127/2003-04	-	1,2
8.	102/2004-05	-	1,2,3 एवं 4
9.	92/2005-06	1,2	1
10.	207/2007-08	-	1
11.	48/2012-13	-	3
12.	39/2016-17	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ऋषिके**श के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: मापपुस्तिका: 40/L,41/L,46/L,47/L,48/L,49/L,50/L,51/L,54/L,56/L,57/L,65/L,151/L,312/L,317/L

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री राकेश बहुगुणा	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री संजीव नेगी	व.खण्डीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से अगस्त-18
(ii)	श्री पदमेन्द्र सिंह	व. खण्डीय लेखाधिकारी	अगस्त-18 से सितम्बर-19
(iii)	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	व खण्डीय लेखाधिकारी	सितम्बर-19 से 09 अक्टूबर-20
(iv)	श्री पदमेन्द्र सिंह	व. खण्डीय लेखाधिकारी	09 अक्टूबर 20 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ऋषिकेश** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)